यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-01 राज्य कर, रुड़की** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-01 राज्य कर, रुड़की के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री अंशुमान अग्रवाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं आशीष पाण्डेय व.ले.प. द्वारा दिनांक 23.10.2020 से 05.11.2020 तक श्री राजकुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1 परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री गोविंद कुमार सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री चन्द्र मोहन सिंह रावत सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) एवं श्री आशीष पाण्डेय, वरि. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 22.02.2020 से 02.03.2020 तक श्री राज कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी। जिसमे राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी एवं व्यय हेतु माह --- से --- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक तथा व्यय हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः -**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	**अर्जित राजस्व (₹ लाख मे)**
2017-18	17491.63
2018-19	23803.68
2019-20	24728.91

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत

हैः (₹ लाख में)

वर्ष	**Plan**		**Non plan**		**अधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2017-18	आहरण वितरण कार्य उपायुक्त (क.नि.)- चतुर्थ के द्वारा किया जाता था।					
2018-19						
2019-20	-	-	709.82	697.36	-	12.46

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+)₹	बचत (-)₹
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई "A" श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, वित्त **>** आयुक्त कर, वाणिज्य कर**>** ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर**>** डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर**>** सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर**>** वाणिज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-01 राज्य कर, रुड़की** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-01 राज्य कर, रुड़की** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: मई 2019 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: मार्च 2020 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) **योजना का चयन :-** कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व का लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

प्रस्तर- 01: कर का न्यूनारोपण र 19.34 लाख।

भाग-II (ब)

प्रस्तर- 01 : उपकर आरोपित न किए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति ₹6.43 लाख।

प्रस्तर- 02: कर की धनराशि कम जमा किए जाने से राजस्व क्षति ₹5.50 लाख।

प्रस्तर- 03 : देय कर के विलंब से जमा किए जाने पर अर्थदण्ड ₹ 8.61 लाख का अनारोपण।

प्रस्तर- 04 : यथोचित कार्यवाही न किए जाने से स्टाम्प शुल्क ₹1.05 लाख की क्षति।

प्रस्तर- 05 : कर निर्धारण आदेश मे प्रा0 अवशेष अंकित न किया जाना।

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

शून्य

भाग दो (अ)

प्रस्तर- 01: कर का न्यूनारोपण ₹19.34 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की अनुसूची 2 बी की क्रम संख्या 41 के अनुसार ड्रग्स औषधि और फ़ार्मास्युटिकल निर्मित (एलोपथिक आयुर्वेदिक होम्योपेथिक तथा यूनानी) जिसमे टीके की दवा सिरिन्ज व पट्टीय औषधि मलहम जो ड्रग लाइसेन्स के अधीन उत्पादित हो और आई पी ग्रेड श्रेणी का हल्का लिक्विड पैराफिन अंकित किया गया है। पुनः उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(ख)(i)(ई) मे यह प्रावधान किया गया है, कि किसी भी अनुसूची मे सम्मिलित माल से भिन्न माल के संबंध मे करदेयता 13.5% की दर से निर्धारित की गई है।

कार्यालय उपायुक्त (क. नि.)-1, राज्य कर, रुड़की के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री प्रीतम इंटर नेशनल प्रा0 लि0 (टिन 05009719522) की कर निर्धारण वर्ष 2015-16 की पत्रावली की जांच मे पाया गया कि कर निर्धारण आदेश में ₹1,64,23,861 की दवाइयो की बिक्री करना दर्शाया गया था। गोपनीय पत्रावली की जांच मे पाया गया कि व्यापारी द्वारा वर्ष 2010 मे लाइट्स, सीएफ़एल स्वीच्स एंड इलेक्ट्रिकल गूड्स के निर्माण के लिए पंजीयन लिया गया था। गोपनीय पत्रावली मे दवा एवं कास्मेटिक के निर्माण के संबंध में कोई पंजीयन नहीं संलग्न था। व्यापारी द्वारा निर्माण की गयी दवा आई पी ग्रेड की है यह भी स्पष्ट नहीं है, यदि दवा आई पी ग्रेड की नहीं है तो उस पर करदेयता अवर्गीकृत वस्तुओं की भांति 13.5 % की दर से आरोपणीय थी। अतः अंतरीय कर की दर 8.5 प्रतिशत (13.5%-5%) से ₹13,96,028 (₹1,64,23,861 x 8.5%) का कर व्यापारी पर और आरोपणीय था एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय था।

उक्त के अतिरिक्त दो फार्म सी सं0 पीबी/एबी/सी 0311028 धनराशि ₹ 24,10,134 एवं फार्म संख्या पीबी/एबी/सी 0311027 धनराशि ₹18,92,223 की द्वितीय प्रति पर लाभ दिया गया है। जो नियमानुसार देय नहीं था। जिसे पर अंतरीय कर की दर (13.5%-1=12.5%) ₹5,37,795 (₹43,02,357x 12.5 प्रतिशत) देय था।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि व्यापारी द्वारा AC-03 रुड़की के कार्यालय रसीद संख्या 116640 दिनांक 12.06.2013 के माध्यम से ट्रेडिंग व निर्माण हेतु वस्तु वृद्धि का आवेदन दाखिल किया है। दावा के आई पी ग्रेड के संबंध मे अभिलेखो से जांच कर अवगत करा दिया जाएगा। फार्म-सी के संबंध मे जांच कर अवगत कराया जाएगा।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर- 01 : उपकर आरोपित न किए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति ₹6.43 लाख।

उपकर अधिनियम 2015 की अनुसूची III में 'खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ (फास्ट फूड), पिज्जा आउटलेट्स या फ्राइड चिकेन आउटलेट्स द्वारा की गई बिक्री, प्री-पैक्ड ईटेबल्स, प्री-पैक्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट ड्रिंक्स, फ्लेवर्ड ड्रिंक्स और बेवरेजेज़ (जिसमें प्री-पैक्ड लस्सी, बटरमिल्क और दूध सम्मिलित नहीं है)' को रखा गया है और शासन की अधिसूचना संख्या 194/2016/17 (120)/XXVII(8)/2014 दिनांक 02 मार्च 2016 के अनुसार इनके विनिर्माण के बिन्दु पर या राज्य के बाहर से आयात किए जाने के उपरांत राज्य में प्रथम बिक्री के बिन्दु पर माल के मूल्य का 2% उपकर उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा।

कार्यालय उपायुक्त कर निर्धारण -01, राज्यकर, रुड़की की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री डायमंड वैली गार्डन प्रा॰ लि॰ टिन 05014047177 द्वारा वर्ष 2016-17 में राज्य के बाहर से आइसक्रीम (प्री-पैक्ड ईटेबल्स) आयातित कर राज्य में प्रथम बार बिक्री की गयी थी। अतः वर्ष 2016-17 में आयातित आइसक्रीम की बिक्री ₹19934931 पर 2% की दर से र 3,98,699 का उपकर आरोपणीय है तथा इस पर दिनांक 01.10.2016 से लेखापरीक्षा माह अक्टूबर 2020 तक ₹244203 (398699*1.25%*49) का ब्याज भी देय है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा पत्रावली की जांच कर कृत कार्यवाही से अवगत कराने का आश्वासन दिया है।

अतः व्यापारी पर उपकर आरोपित न किए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति ₹6.43 लाख का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर- 02: कर की धनराशि कम जमा किए जाने से राजस्व क्षति ₹5.50 लाख।

कार्यालय उपायुक्त (क. नि.)-1, राज्य कर, रुड़की के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान व्यापारी सर्वश्री प्रीतम इंटर नेशनल प्रा0 लि0 (टिन 0500971952) के द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2015-16 के द्वारा कर निर्धारण आदेश मे ₹63,02,035 चालान द्वारा जमा करना अंकित किया गया था। व्यापारी द्वारा दाखिल विवरणी के अनुसार ₹54,86,717 जमा करना दर्शाया गया था एवं तदनुसार ₹57,52,035 का चालान संलग्न था। अतः ₹5,50,000/- (₹63,02,035 - ₹57,52,035) कम जमा किया गया था।

उक्त के अतिरिक्त व्यापारी द्वारा केंद्रीय बिक्री ₹159,96,41,446 पर 1 प्रतिशत की दर से कर देना स्वीकार किया गया था जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया था। पत्रवाली पर बैलेन्स शीट संलग्न नहीं थी। जिससे यह स्पष्ट नहीं था व्यापारी को उक्त लाभ किस आधार पर दिया गया था।

उक्त को इंगित किए जाने विभाग द्वारा अभिलेखो की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग 2 ब</u>

प्रस्तर- 03 : देय कर के विलंब से जमा किए जाने पर अर्थदण्ड ₹ 8.61 लाख का अनारोपण।

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर नियमावली 2005 के नियम-11 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यापारी जिसका पूर्ववर्ती वर्ष में सकल आवर्त ` 50 लाख से अधिक है**,** उसे अगले माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान करना है एवं जिसका सकल आवर्त ₹ 50 लाख तक है**,** उसे अगले त्रैमास के प्रथम माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान करना है।

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(**VII**vii) के अंतर्गत यदि किसी व्यौहारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधो के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर राजकोष में जमा नहीं किया है तो वह अर्थदण्ड के रूप में देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि कर 10 हज़ार रूपए तक हो और देय कर का 50% यदि कर 10 हजार रूपए से अधिक हो का दायी होगा **(दिनांक 31.03.2015 से पूर्व)**, यदि विलंब 01 माह तक हो तो देय कर का 5% का दायी होगा। **(दिनांक 31.03.2015 से),** यदि विलंब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर रु0 20 हज़ार रूपए तक हो तो वह देय कर का कम से कम 10% एवं अधिक से अधिक 20% और यदि विलंब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर रु0 20 हज़ार रूपए से अधिक हो तो वह देय कर का कम से कम 20% एवं अधिक से अधिक 30% का दायी होगा **(दिनांक 31.03.2015 से)।**

कार्यालय उपायुक्त(कर निर्धारण)-01, राज्य कर, रुड़की के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि दो व्यापारियो द्वारा विभिन्न माहों में देय कर की राशि ₹32,92,067/- को विलंब से जमा किया गया था| अत: विलम्ब से जमा कर की राशि पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियामानुसार न्यूनतम ₹86116/- का अर्थदण्ड आरोपणीय था जिसे आरोपित नहीं किया गया था **(संलग्नक)**।

इस विषय में इंगित किए जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर दिया कि पत्रावली की जांच कर अवगत कराया जाएगा।

अतः देय कर के विलंब से जमा किए जाने पर अर्थदण्ड ₹86116/- के अनारोपण का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

क्रम सं0	व्यापारी का नाम	TIN संख्या	कर निर्धारण वर्ष	कर अवधि	कर जमा करने की अंतिम तिथि	देय कर जमा करने की तिथि	विलम्ब (दिनों में)	कर की राशि	दर (%)	अर्थदण्ड की राशि
1.	मेसर्स पी के इंटरनेशनल	05005936425	2016-17	05/2016	20.06.2016	30.08.2016	71	535978	20	107195
				06/2016	20.07.2016	07.10.2016	79	373555	20	74711
				07/2016	20.08.2016	20.12.2016	142	209235	20	41847
				12/2016	20.01.2017	21.03.2017	60	435686	20	87137
				02/2017	20.03.2017	11.04.2017	42	173032	05	8651
				11/2016	20.12.2016	17.03.2017	87	200000	20	40000
				11/2016	20.12.2016	17.03.2017	87	334273	20	66854
				09/2016	20.10.2016	31.01.2017	103	232460	20	46492
				10/2016	20.11.2016	17.02.2017	89	420760	20	84152
				01/2017	20.02.2017	10.04.2017	49	377088	20	75418
2	मै. प्रीतम इण्टरनेशलन प्रा. लि.	05009719522	2015-16	04/2015	20.05.2015	22.05.2015	02	17,20,000	5	86000
				06/2015	20.07.2015	22.09.2015	64	2,65,318	20	53064
3	मै. करुणा एंटर प्राइजेज	05004019317	2015-16	**Q1**	20.07.2015	27.07.2015	07	1,53,651	5	7683
				Q3	20.01.2016	11.03.2016	50	409785	20	81957
	कुल							**₹5840821**		**₹861161**

भाग दो ब

प्रस्तर- 04 : यथोचित कार्यवाही न किए जाने से स्टाम्प शुल्क ₹1.05 लाख की क्षति।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 में प्रावधान किया गया है कि यदि 'विधि या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत, पुलिस अधिकारी के सिवाय, सार्वजनिक कार्यालय का प्रभारी, प्रत्येक व्यक्ति, जिसके समक्ष, उसके कर्तव्यों के सम्पादन में कोई ऐसा विलेख प्रस्तुत किया जाए, या आ जाए, जो उसकी राय में स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य है और उसे प्रतीत हो कि वह विलेख यथाविधि स्टांपित नहीं है, उसे जब्त करेगा।' धारा 33(2) के अनुसार 'इस प्रयोजन से ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विलेख के निष्पादन या प्रथम निष्पादन के समय भारत में प्रचलित विधि में निर्धारित मूल्य और प्रकार के स्टाम्प से स्टांपित है, उसके समक्ष ऐसे प्रस्तुत किए गए या आए प्रत्येक ऐसे प्रभार्य विलेख का परीक्षण करेगा।'

इसी के क्रम में महानिरीक्षक- निबंधन, उत्तराखण्ड ने अपने पत्रांक 827/म.नि.नि./2013-14 दिनांक 23 दिसंबर 2013 द्वारा सभी जिलाधिकारियों को निर्देश निर्गत किए कि समस्त कार्यालयाध्यक्षों को भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 में उल्लेखित प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित कर दें कि वह भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 के आलोक में उनके कार्यालय में विगत आठ वर्षों में निष्पादित किए गए विभिन्न प्रकार के विलेखों का परीक्षण कर लें एवं यदि किसी प्रकरण में स्टाम्प कमी का मामला दृष्टिगोचर हो तो संबन्धित अभिलेख की प्रति अपनी आख्या सहित यथाशीघ्र अपने जनपद के कलेक्टर कार्यालय में उपलब्ध कराते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करने का कष्ट करें। अतः, स्पष्ट है कि विभिन्न कार्यालयाध्यक्षों को शासन ने उनके समक्ष प्रस्तुत विलेखों पर स्टाम्प शुल्क के सही दर पर अदा किए जाने के विषय में उत्तरदायित्व निर्धारित किया था एवं किसी संदेह की दशा में धारा 33 के अनुसार कार्यवाही करने की ज़िम्मेदारी तय की थी।

कार्यालय उपायुक्त (क. नि.)-1, राज्य कर विभाग, रुड़की के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान व्यापारी सर्वश्री प्रीतम इंटर नेशनल प्रा0 लि0 (TIN 0500971952) की गोपनीय पत्रावली में पाया गया कि उक्त व्यापारी द्वारा कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत लीज विलेख, जिसके द्वारा 50000 वर्ग फीट क्षेत्रफल गोडाउन के लिए 11 माह के लिए लीज (08 अगस्त 2014) ₹4,25,000 प्रतिमाह की दर पर एवं 7000 वर्ग फिट लीज (16 जून 2014) 50,000 प्रतिमाह की दर से लिया गया है, में समुचित दर से स्टाम्प शुल्क अदा नहीं किया गया था बल्कि 100 रुपए के स्टांप शुल्क पर लीज डीड संपादित कर ली गई थी। तथापि, कार्यालय द्वारा अधिनियम की धारा 33(2) के अधीन विलेखों का परीक्षण यह जानने के लिए नहीं किया

गया कि क्या उक्त विलेख समुचित राशि से स्टांपित हैं अथवा नहीं, और न ही उक्त विलेखों को जब्त कर कलेक्टर को भेजा गया। अतः कम राशि से स्टांपित विलेखों को स्वीकार करने के कारण राजकोष को ₹1,04,500 (₹4,25,000 x 11= 46,75,000 का 2 प्रतिशत + 50,000 x 11= 5,50,000 का 2 प्रतिशत) के राजस्व की क्षति हुई। गोडाउन के लिए 5000 वर्ग फिट की लीज आपसी सहमति से renewed/extended तथा 7000 वर्ग फिट आगामी 4 वर्ष 1 माह के लिए आपसी सहमति से बढ़ाया जाना था।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि व्यापारी द्वारा व्यापार स्थल लीज पर लिया गया है विलेख का परीक्षण कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही से अवगत कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

अतः प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर- 05 : कर निर्धारण आदेश मे प्रा0 अवशेष अंकित न किया जाना।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा- 3(1) के अनुसार किसी व्यौहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किये गये प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कर आरोपित किया जायेगा तथा कर की दर धारा-04 की विभिन्न उपधाराओं के अनुसार होगी।

कार्यालय उपायुक्त (क0नि)-01, राज्य कर, रुड़की के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा जांच मे पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री मेरिल फार्मा प्रा0 लि0 टिन -05005878807 के द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2015-16 मे प्रा0 रहतिया शून्य घोषित किया गया था। जबकि वर्ष 2014-15 के कर निर्धारण आदेश के अनुसार अंतिम रहतिया ₹3,30,95,833 था। इस प्रकार वर्ष 2014-15 के अंतिम रहतिया र 3,30,95,833 को कर निर्धारण वर्ष 2015-16 मे अग्रसारित नहीं किए जाने के कारण धनराशि र 3,30,95,833 पर बिक्री के अनुक्रम में न्यूनतम 5 प्रतिशत की दर से कर ₹16,54,729 (र 3,30,95,833 x 5%) आरोपणीय है एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय था।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि आरंभिक रहतिया त्रुटिवश शून्य टंकित कर दिया गया है यह अभिलेखीय त्रुटि है जिसके नियमानुसार संशोधित कर लिया जाएगा। अतः उक्त का संशोधन लेखा परीक्षा मे अपेक्षित रहेगा।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
45/2012-13	-	01	-
41/2013-14	-	01,02,03,	01
28/2014-15	-	02	-
22/2015-16	01,02	01,02,03,04	-
41/2016-17	01	02,03,04,05,06	-
163/2017-18	-	01,02,03	-
86/2018-19	-	01,02,03,04	-
156/2019-20	01	01,02,03,04,5	-

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-01 राज्य कर, रुड़की** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री प्रेम प्रकाश शुक्ला,	उपायुक्त (अप्रैल 2019 से अगस्त 2019)
(ii)	श्री विजय कुमार,	उपायुक्त (सितम्बर 2019 से मार्च 2019)

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV